बड़े बांधों के दुष्प्रभाव : बीसलपुर परियोजना के विशेष संदर्भ में

*नन्दकिशोर सैनी

शोध सारांश

राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार स्तम्भ कृषि है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि, पशुपालन व उसकी सहायक क्रियाओं से गुजर बसर करती है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होते हुई भी पिछड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर वर्षा की अनियमितता सदैव बनी रहती है। जिसके कारण भू–गर्भित जल का स्तर प्रतिवर्ष गिरता जा रहा है। कुएं, नलकूप सूखते जा रहे है। तालाब व बांधों के पानी में प्रतिवर्ष कमी होती जा रही है। डार्क जोनों की संख्या में वृद्वि होती जा रही है तथा लोग बेतहाशा गहरे और गहरे नलकूप करते जा रहे हैं तथा सरकार द्वारा पेयजल की समस्या से निपटने के लिये बड़े–बड़े बांध बनाये जा रहे है परन्तु उन बांधों के दुष्प्रभाव का चिन्तन नहीं किया जा रहा है। कृषि भूमि तथा वनों का बड़े पैमाने पर विनाश किया जा रहा है। ग्रामीण व वन क्षेत्र के निवासी विस्थापित होकर दर–दर की ठोकरे खा रहे हैं। दो घर बसाने के लिये एक घर को तबाह कर दिया जाये यह किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।

अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ आदि शहरों की गम्भीर होती जा रही पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान हेतु सन् 1986 में टोंक जिले के बीसलपुर गाँव के समीप बनास नदी पर, बीसलपुर पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था। वर्तमान में बीसलपुर बांध से 12 शहरों, 2 हजार 198 गाँव और 5 हजार 647 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये करीब एक दर्जन परियोजनाओं का काम चल रहा है परन्तु पूर्व में जिन गाँवों, ढाणियों और शहरों को पेयजल आपूर्ति से जोड़ा जा चुका था उन्हें ही तीन से चार दिन में एक बार पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की हालत बदतर है।

बीसलपुर परियोजना के कारण कुल 63 गाँव विस्थापित हुए है। जिसमें डूब से प्रभावित परिवारों की संख्या 5700 है एवम् जनसंख्या लगभग 30,000 है। डूब क्षेत्र की कुल भूमि 21836 हैक्टेयर है। अब बात करते हैं बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के दर्द की, तो बांध बनने के 23 साल बाद भी 118 पुर्नवास कॉलोनियों में से 6 कॉलोनियाँ अभी तक विकसित नहीं हुई हैं। पुर्नवास कॉलोनियों में सम्पर्क सड़क, आन्तरिक सड़के, हैण्ड पम्प, कुंआ, स्कूल, चिकित्सा भवन, बीज गोदाम, सामुदायिक भवन का आज भी अभाव है यदि बन गये है तो उनकी हालत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तथा सरकारी कार्मिकों के पद पर रिक्त पड़े है।

विस्थापित फलोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि विस्थापित पाईप लाईन की लिकेजिंग में से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे है क्योंकि इनके घरों के आगे से मोटी–मोटी पाईप लाईन तो जा रही है किन्तु इन्हें पेयजल कनेक्शन इसमें से नहीं दिए हुए है क्योंकि ये लाईनें बड़े कस्बों और शहरों को पानी की सप्लाई करती है इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि जिस बांध के लिए उनका सब कुछ छूट गया उसका वो पानी भी नहीं पी सकते जबकि इस पानी पर सबसे पहला हक विस्थापितों का होना चाहिये।

अधिकांश विस्थापित आज भी आवंटित की गई जगह पर निवास नहीं कर रहे है क्योंकि इन स्थानों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। विस्थापन के कारण अस्पताल, बाजार, तहसील उनके घरों से काफी दूर हो गये है। विस्थापित कॉलोनियों में यातायात के साधन नहीं है जिस कारण छोटे–छोटे बच्चे एक–एक किलोमीटर तक पैदल स्कूल जाते है। घर में कोई सदस्य बीमार होने पर निजी साधन बुलाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। कई बार तो बीच राह गाड़ी में ही प्रसव हो जाता है। विस्थापितों को जो कृषि भूमि आवंटित की गई है। वहाँ पर सिंचाई के कोई साधन नहीं है। जिस कारण विस्थापित किसान, किसान से मजदूर बन गया और शहरों की ओर पलायन कर गया। आज भी इस कारण कई विस्थापितों के घर ताला बंद है अधिकांश विस्थापित कृषि पर निर्भर थे किन्तु विस्थापन के पश्चात् सिचिंत क्षेत्र नहीं मिलने के कारण बेरोजगार हो गये तथा कृषि उपज में भी गिरावट आयी

जिस कारण गरीबी व जीवन स्तर में भी गिरावट आयी और असमय ही बीमारियों ने घेर लिया जिससे उनकी अकाल मृत्यु भी हो गयी।

विस्थापितों को जो राशि मुआवजे के रूप में मिली वह मकान बनाने व पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में ही खर्च हो गयी। विस्थापित इस मुआवजा राशि से आजीविका का कोई स्थायी साधन स्थापित नहीं कर सके। बीसलपुर परियोजना के निर्माण से किसानों की आजीविका का पैतृक साधन उनसे छीन लिया गया है। इसके बदले उन्हें जो मुआवजा या नकद धनराशि दी गई है वो कभी भी उनके पैतृक साधनों का मुकाबला नहीं कर सकता है अतः ये जो क्षति हुई है वो अपूर्णनीय है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (पुर्नवास) एवम् भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना, देवली (टोंक) से मैंने दिनांक 29.03.2012 को सूचना के अधिकार के तहत विस्थापितों से सम्बन्धित सूचनाऐं चाही थी परन्तु 15 माह में भी मुझे सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जबकि नियमानुसार सूचना एक माह में देने का प्रावधान है। इससे हम अन्दाजा लगा सकते है कि एक अधिनियम की यह हालत है तो विस्थापितों को कैसे इन्होंने समय पर भूमि का आवंटन व मुआवजा राशि का वितरण किया होगा।

हर गाँव की अपनी एक अलग ही संस्कृति होती है। अपनी ऐतिहासिक धरोहर, मन्दिर, गढ़ होते है जिन्हें हमने अपनी गलत नीतियों, कुप्रबन्धन के कारण सदा के लिये जलमग्न कर दिया है। कंक्रीट के मकान बनाकर हम कॉलोनियाँ तो विकसित कर सकते हैं परन्तु संस्कृति का पुर्नवास नहीं कर सकते हैं। बीसलपुर परियोजना के कारण मन्दिर, मस्जिद जलमग्न हुए हैं। उनका मुआवजा आज तक नहीं मिला है और ना ही नये मन्दिर, मस्जिद का निर्माण कराया गया है। अधिकांश मन्दिरों और मस्जिदों का मुआवजा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण टोंक में जमा है।

बड़ी परियोजना भ्रष्टाचार को जन्म देती है जिसका उदाहरण बीसलपुर पेयजल आपूर्ति एवम् सिंचाई परियोजना है। जिस पर महालेखाकार लेखा–परीक्षा द्वारा 1232 पृष्ठों के ऑडिट आब्जेक्शन लगाये हुए है। इससे हम अनुमान लगा सकते है कि इस परियोजना में किस कदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। विस्थापितों ने मुआवजे के लिये परियोजना कार्यालय के ना जाने कितने चक्कर लगाये होगें।

बड़े बांधों के कारण जल सम्बन्धी विवाद बढ़ रहे है। पहले अन्तर्राष्ट्रीय या अन्तर्राज्यीय जल विवाद देखने को मिलते थे परन्तु बीसलपुर परियोजना के कारण अर्न्तजिले विवाद भी बढ़ रहे हैं। हाल ही में अजमेर जिले के निवासियों ने आपत्ति दर्ज करायी है कि बीसलपुर बांध के पानी पर सबसे पहला हक अजमेर का है यदि कटौती करनी है तो जयपुर जिले के या अन्य जिले के पानी में करें, ऐसा इसलिये हो रहा है क्योंकि इस साल कम बरसात के कारण बीसलपुर बांध मात्र 310 मीटर तक ही भर पाया जिस कारण बांध से जुड़े सभी शहरों को नियमित रूप से जल की सप्लाई मई, जून तक किया जाना असम्भव है। पूर्व में सोहेला कांड भी बीसलपुर के पानी को टोरडी सागर में डालने को लेकर घट चुका है। टोंक के बांशिदे भी इस परियोजना पर अपना पूरा हक जता रहे कुल मिलाकर बड़े बांध भी जल विवाद में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

बनास, खारी और डाई नदी को अवरूद्ध कर बीसलपुर पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया गया है। इस बांध के निर्माण से बनास, खारी और डाई नदी का प्रवाह क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिस कारण बनास नदी में जगह–जगह पैदा होने वाले खरबुजे की मिठास को गायब कर दिया है। बांध के निचले हिस्से में रहने वाले काश्तकारो की रोजी–रोटी को छीन लिया है क्योंकि नदी में जल का प्रवाह नहीं हो रहा है जिस कारण वे अब नदी क्षेत्र के किनारे खेती नहीं कर पा रहे हैं।

बड़े बांधों के दुष्प्रभावों के खिलाफ चेतावनी मिलते ही बड़े–बड़े राष्ट्रों ने अपने बांधों को तोड़कर नदियों को पुनः उनके पुराने स्वरूप में लाना प्रारम्भ कर दिया है और एक हम हैं जो बड़े–बड़े बांध बनाकर नदियों को मुर्दा करने में लगे हुए हैं और जो नदियाँ बची हुई हैं उन्हें हमने कचरा ढोने वाले माल वाहक बनाकर छोड़ दिया है। बीसलपुर बांध के कारण जयपुर वासियों की पेयजल की निर्भरता इसी पर आश्रित हो गई और उन्होंने जयपुर जिले की द्रव्यवती नदी को अमानीशाह के गंदे नाले के रूप में तब्दील कर दिया और जयपुर जिले की प्यास बुझाने वाले रामगढ़ बांध के केचमेंट एरिया में जगह–जगह अतिक्रमण कर उसके भराव के रास्तो को ही अवरूद्ध कर दिया

जिस कारण आज जयपुर जिला पेयजल के लिए तरस रहा है।

आज नदियाँ हमसे जिंदा होने का हक माँगती हैं और आवश्यकता इस बात की है कि नदियों को उनके पुराने स्वरूप में अठखेलियाँ खाते हुए बहने दिया जावे। यदि इनके साथ बड़े बड़े बांध बनाकर छेड़छाड़ की गई तो इसके भयानक दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, बांध बनने से नदियाँ उथली हो गई हैं और न जाने कब बनास, खारी और डाई नदी में से कौनसी नदी अपने तटबंध तोड़कर कोसी की तरह विनाश कर दे ये कोई नहीं जानता। बीसलपुर बांध 1996 से लकर 2019 तक मात्र वर्ष 2004–05, 2006–07 व 2007–08 में पूरा भरा है। इसके अलावा कभी पूरा भरा ही नहीं है और तो और वर्ष 2008–09, 2009–10 व 2010–11 में तो नहरो में पानी भी नहीं छोड़ा गया जिस कारण सिंचाई भी नहीं हो सकी।

बड़े बांध विनाश को जन्म देते हैं क्योंकि बड़े बांधो ने हमारी तीन पीढ़ियों को बेघर कर दिया है। बांधों ने हमारे वर्तमान, भूत व भविष्य को धुंधला कर दिया है, अब हमें पहले जैसे जल प्रपात, नदियाँ, झरने देखने को नहीं मिलते हैं। हमारी झीले भरने को भी तरस कर रह जाती हें क्योंकि उनका पोषण करने वाली पहाड़ी नदियों व झरनो को हमने बांध बनाकर रोक दिया है। बांध एक स्थाई समस्या का अस्थाई हल है क्योंकि आने वाले 100 सालों में यह बांध गाद से भर जायेंगे, बड़े बांध हमारी संस्कृति को और एक विशेष जीवन पद्धति को नष्ट कर रहे हैं। बांधों से पर्वतीय और आदिवासी लोग उजड़ रहे हैं, बड़े बांधों से प्राकृतिक संसाधनो का मुख्यतः वनो विविध वनस्पतियों और वन्य जीवो सहित पूर्ण तबाही हुई है। बड़े बांधों ने नदियों की परिस्थितियों को नष्ट कर दिया है और नदी के नीचे के क्षेत्र के हजारों किसानों और मछुआरों की आजीविका छीन ली है, दलदल और लवणीकरण के कारण लाखों हेक्टेयर भूमि अनुपजाऊ हो गई है। बड़े बांध लोगों को भ्रष्ट बनाते हैं और देश को गिरवी रख देते हैं। विस्थापितों को दिया जाने वाला मुआवजा या नकदी कभी भी उनके आजीविका के पैतृक साधनों का विकल्प नहीं हो सकता।

अन्त में श्री अरूण तिवारी जी की दो पंक्तियाँ लिखना चाहूंगा जो आज के परिपेक्ष में एकदम सटीक बैठती हैं –

''कहते हैं कभी तहजीबे बसती थी नदियों के किनारे,
आज नदियाँ तहजीब का पहला शिकार है।''

***शोधार्थी**
आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

संदर्भ :

1. शर्मा दामोदर : (1996) जल और जल प्रदूषण, साहित्य ज्ञान प्रकाशन, जयपुर।
2. गुर्जर, आर.के. माथुर पी.सी. : (1992) पानी की खोज, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
3. वर्लीपति गोवर्धन : (1993) टिहरी बांध का वातावरणीय प्रभाव, आशीष पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
4. बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना कार्यालय, जयपुर प्रगति विवरण।
5. ई.टी.वी. राजस्थान।
6. राजस्थान पत्रिका, जयपुर।
7. दैनिक भास्कर, जयपुर।
8. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005